

[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART- IV EXTRA -ORDINARY]
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(TRANSPORT DEPARTMENT)
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-54.

Dated the 28th August 2014

NOTIFICATION

No.F.19(38)/Tpt./Sectt./2011/76 .-Whereas the draft of certain rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 was published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), by the Government of National Capital Territory of Delhi, vide notification number F.19(38)/Tpt./Sectt./2011/87, dated the 2nd May, 2014 in the Delhi Gazette Part-IV Extra-ordinary inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect on the said draft have been considered by the Government of National Capital Territory of Delhi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to section 129 and clause (i) of sub-section (2) of section 138, read with clause (41) of section 2 and sub-section (2) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, makes the following rules to further amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely:-

RULES

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

Amendment of rule 115

2. In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in sub-rule (2) of rule 115 for the word "Women" the words "Sikh Women" shall be substituted.

By order and in the name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,


(Gyanesh Bharti)
Commissioner (Transport)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(परिवहन विभाग)
5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054.

दिनांक 28th August, 2014

अधिसूचना

सं.क्र. 19(38)/परि/सचि0/2011/176 -जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार दिल्ली मोटर वाहन नियमवली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिये कुछेक नियमों का प्रारूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 2 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या 19/38/परि0/सचि0/2011/87 के अनुसार दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाले दिल्ली के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, उस तिथि से तीस दिन की अवधि बीतने से पहले इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिये प्रकाशित किया गया था।

और उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियां तथा सुझावों पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा विचार किया गया था;

अतः अब मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (4) और धारा 212 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 129 के द्वितीय परन्तुक तथा धारा 138 की उपधारा (2) के खंड(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मोटर वाहन नियमवली, 1993 का पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

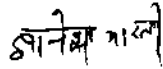
नियमवली

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- 1. (1) इन नियमों दिल्ली मोटर वाहन (त्रितीय संशोधन), नियमवली, 2014 कहा जायेगा।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

नियम 115 का संशोधन :- 2. दिल्ली मोटर वाहन नियमवली, 1993 के नियम 115 के उपनियम (2) में शब्द "महिलाओं" के स्थान पर शब्द "सिक्ख महिलाओं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,


(ज्योती भारती)
आयुक्त (परिवहन)